न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2020/00042 **दायरा दिनांक : 06.07.2020**

उनवान

तेजमल आत्मज गुलाब, जाति कुम्हार, निवासी बिलेण्डी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1. गंगाराम आत्मज भैरू, जाति कुम्हार, निवासी बिलेण्डी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)
2. रामभरोस आत्मज भैरू, जाति कुम्हार, निवासी बिलेण्डी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)
3. केसर पुत्री भैरू, पत्नी गुलाब, जाति कुम्हार, निवासी हाल गणेशपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
4. कन्या पुत्री भैरू, पत्नी बद्रीलाल, जाति कुम्हार, निवासी हाल आसलपुर, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राज0)
5. रतनी पुत्री भैरू, पत्नी फूल चन्द जी, जाति कुम्हार, निवासी पपडेल, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (मध्यप्रदेश)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)
7. भूमि अवाप्ति अधिकार, परवन वृहत सिंचाई परियोजना झालावाड, जिला झालावाड (राज0)
8. बद्रीलाल आत्मज गुलाब, जाति कुम्हार, निवासी बिलेण्डी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री आशीष भारद्वाज अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री घनश्याम नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 19.11.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 80/2018 निर्णय दिनांक 26.02.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण तेजमल व बद्रीलाल ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नं. 155 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 156 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 157 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा मौजा बिलेण्डी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद ने अपने निर्णय दिनांक 26.02.2020 से वादी का वाद खारिज कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.02.2020 विधि न्याय एवं संचिका में प्राप्त सिद्धी के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ

न्यायालय ने वादी अपीलान्ट का वाद बाबत धारा 88–188 आर०टी०ए० को धारा 11 सी.पी. सी. के आवेदन के तहत खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि ख० न० 155 की 4 बीघा 17 बिस्वा भूमि अपीलान्ट व उसके भ्राता बद्रीलाल व रेस्पो० नं० 1 ता 5 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही थी। जिसमें रेस्पो० का 1/123 हिस्सा था किन्तु उन्होंने 1/2 हिस्से की भूमि को नहीं बेच कर सम्पूर्ण भूमि का बेचान रेस्पो० नं० 1 को कर दिया, जो गलत है और उक्त गलत बेचान के आधार पर उक्त भूमि से अपीलान्ट व उसके भ्राता का नाम हटा दिया गया। इस कारण अपीलान्ट का वाद चलने योग्य था, किन्तु उसे सरसरी तौर पर खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि पूर्व वाद में पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो गया जिसके तहत रेस्पो० को 1/2 हिस्से की भूमि का बेचान की रजि० अपीलान्ट के नाम कराना था किन्तु राजीनामा में रजिस्ट्री करा देने की बात लिख कर दावा खारिज करवा लिया व डिक्री नहीं करवाया व बाद में रेस्पो० ने रजिस्ट्री नहीं करवायी इस कारण अपीलान्ट को उक्त भूमि के बाबत पुनः वाद कारण पैदा हुआ और वाद सही तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो चलने योग्य था तथा वाद में धारा 11 सी.पी.सी. लागू नहीं होता है। किन्तु इसके बावजूद भी प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी. स्वीकार करते हुये वाद खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र का जवाब दावा प्रतिवादीगण से प्राप्त किये बिना सरसरी तौर पर धारा 11 सी.पी.सी. का आवेदन स्वीकार करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा है और वह काबिज काश्त चला आ रहा है तथा रेस्पो० वादी के कब्जे में व्यवधान पैदा करते है व रेस्पो० मुआवजा राशि सम्पूर्ण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है इस कारण वादी अपीलान्ट को नया वाद पेश करने व जारी रखने का अधिकार रहता है इस कारण भी पारित आदेश/निर्णय अपास्त होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26–2–2020 को निर्णय सुनाया गया। दिनांक 22–3–2020 से महामारी कोरोना–19 के कारण लोकडाउन हो जाने से नकल प्राप्त नहीं की जा सकी और लोक डाउन खुलने पर नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 01–06–2020 को पेश किया व उसी दिन नकल प्राप्त हो गयी। नकल लेकर अपीलान्ट अपने गांव चला गया और अपील के खर्चे का इंतजाम कर कोटा आया। इस प्रकार दिनांक 22–03–2020 से आज तक की अवधि को कन्डोन करते हुये अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमायी जावे। अतः अपील पेश कर प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.02.2020 निरस्त फरमाया जावे तथा दावा वादी सुनवायी हेतु अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गुलाब तेजमल के पिता है। गुलाब के पिता नन्दा है। रेस्पोडेंट नं. 2 ता 5 के पिता भैरू वल्द भवंरिया है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 155 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 156 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 157 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा के बाबत विवाद है। वादग्रस्त आराजी में पक्षकारान का 1/2 हिस्सा है। गुलाब की मृत्यु हुई इसके बाद इनका हिस्सा तेजमल व भाई बद्रीलाल के नाम दर्ज होना चाहिए था। खसरा नम्बर 155 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि को रेस्पोडेंट 2 ता 5 द्वारा बेचान कर दी। रेस्पोडेंट नम्बर 1, 2 ता 5 का भाई है। वादग्रस्त आराजी में हमारा 1/2

हिस्सा भी बेचान कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में पूर्व धारा 88, 188 का दावा था जिसे राजस्व लोक अदालत अभियान में समझौता करवा कर दावा फैसल कर दिया। नया दावा 11 सी.पी.सी. के तहत खारिज कर दिया जिसकी हमने अपील की है। खसरा नम्बर 155 की भूमि शामलाती खाते की है। जिसमें हमारा 1/2 हिस्सा था, उसका बेचान कर दिया गया। पक्षकारान ने समझौते की पालना नहीं की, समझौता क्या हुआ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नहीं है। राजीनामे के आधार पर न्यायालय ने डिक्री पारित नहीं की। धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान डिक्री पर लागू होते हैं डिक्री जारी ही नहीं हुई ऐसी स्थिति में हमारा वाद गलत खारिज किया है। बेचान किया यह कथन किया है परन्तु बेचान का कोई दस्तावेज पत्रावली में सलंग्न नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र के अनुसार रिमाण्ड किया जाये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2020 न्यायोचित है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हैं। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध योग्य अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 240/2017 प्रस्तुत किया उक्त वाद को अपीलान्ट द्वारा विड्रो कर लिया उसके उपरान्त पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर नया वाद संख्या 80/2018 प्रस्तुत कर दिया, जो पूर्व वाद के निस्तारण होने से वाद खारिज कर दिया जो न्यायोचित है। पूर्व वाद में दिनांक 24.08.2018 भी तेजमल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और राजस्व लोक अदालत मे राजीनामा हो जाने के कारण वाद को वापिस लिये जाने का निवेदन करने पर वाद ड्रोप फरमा दिया गया। किन्तु फिर भी उन्हीं तथ्यों के आधार पर नवीन वाद प्रस्तुत कर दिया जो आर्डर 7 नियम 11 व धारा 11 सी. पी. सी. के अनुसार रेसज्यूडिकेटा से बाधित होने के कारण खारिज किया है, जो न्यायोचित है। अपीलान्ट द्वारा क्या राजीनामा हुआ उस राजीनामे पर किन किन लोगों के हस्ताक्षर हैं ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। केवल मात्र प्रकरण को लम्बा करने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत की है जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 155 भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा ग्रहण कर खातेदारान को मुआवजा दे दिया गया है और उक्त आराजी परवन वृहत परियोजना जल संसाधन वृत्त झालावाड के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के बावजूद भी दावा प्रस्तुत कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। अधिग्रहण आराजी के संबंध में राजस्व वाद एवं प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमायी जावे। अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है जिसका कोई समुचित कारण अपीलान्ट द्वारा नहीं बताया गया है अपीलान्ट स्वयं लापरवाह रहा है जो अपनी लापरवाही का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है इस कारण अपील खारिज फरमायी जावे। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील सव्यय खारिज फरमायी जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील का गहनता से अवलोकन किया। वादी अपीलांट ने उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद सं. 80/2018 के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2020 को पारित निर्णय के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। इसी विवादित आराजी के क्रम में वादी अपीलांट द्वारा पूर्व में भी एक वाद सं. 240/2017 अधीनस्थ न्यायालय में दायर किया था। इस वाद संख्या 240/2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प बिलेण्डी में पक्षकारान द्वारा प्रकरण वापस लेने हेतु आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर प्रकरण को ड्रोप कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजीनामे एवं अधीनस्थ न्यायालय की दिनांक 24.05.2018 की आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर अंकित है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत राजीनामा उभयपक्ष की सहमति से एवं उनकी उपस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और इसी प्रकरण को वापस लेने के राजीनामे के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24.05.2018 को वादी अपीलांट द्वारा इस विवादित आराजी के संदर्भ में प्रस्तुत पूर्व वाद संख्या 240/2017 को ड्रोप कर दिया। पुनः वादी अपीलांट द्वारा इसी विवादित आराजी के संदर्भ में धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद संख्या 80/2018 प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी. पी. सी. को स्वीकार कर खारिज कर दिया।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि वादी द्वारा उसी भूमि का उन्हीं पक्षकारान के मध्य नया वाद पत्र पेश किया गया है, जबकि एक बार दावा पेश करने के बाद पुनः उसी भूमि व पक्षकारान के मध्य नया वाद पत्र पेश नहीं किया जा सकता है। एक बार निर्णय होने के बाद पुनः वाद पत्र पेश कर दुबारा निर्णय पारित नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में प्रार्थी (अप्रार्थी) का प्रार्थना पत्र धारा 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त कथन की पुष्टि पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों से होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2020 विधि सम्मत होने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/11/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा